न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :109/2021 G.C.M.S. No. 2021/445 दर्ज दिनांक: 29.11.2021

अपीलार्थिगण:

1. हंजा पत्नि स्वर्गीय श्री विरमरामजी, जाति सिरवी, उम्र 85 वर्ष निवासी पांचलवाड़ा, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चेनाराम पुत्र श्री मनारामजी
2. नेनाराम पुत्र श्री मनारामजी, जातिगण सिरवी, निवासीगण पांचलवाड़ा, तहसील बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पदेन उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 113/2021 बअनवान हंजा बनाम चेनाराम वगैरह के आदेश दिनांक 26.11.2021

उपस्थितः–

1. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पदेन उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 113/2021 बअनवान हंजा बनाम चेनाराम वगैरह के आदेश दिनांक 26.11.2021 प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट प्रार्थिया हंजा ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के संबंध में प्रस्तुत कर सरहद मौजा दांतीवाड़ा, तहसील बाली, जिला पाली में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा संख्या 708 रकबा 2.62 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम वार्षिक लगान 13.10/– रूपये अपीलांट प्रार्थिनी के कब्जेकाश्त व बंट की खातेदारी भूमि का कथन करते हुए खातेदारी हक घोषणा प्रदान करने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। उक्त भूमि अपीलांट के पति स्वर्गीय विरमाराम पुत्र श्री नेमाजी व उनके भाई अप्रार्थीगण मनाराम पुत्र श्री नेमाजी, जातिगण सीरवी निवासीगण पांचलवाड़ा के बीच करीब 30 वर्ष पूर्व आपस में उनकी खातेदारी भूमियों का बंटवाड़ा हुआ था। जिस आपसी बंटवाड़ा का एक लिखत दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

10.05.1991 को दोनों भाईयों के मध्य गांव के आस–पड़ोस व मौजिज व्यक्तियों के समक्ष लिखा गया, जिसमें साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त बंटवाड़ा के आधार पर भूमि दर्ज नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि खसरा संख्या 708 पूर्व दर्ज अनुसार 1/2 हिस्सा विरमारामजी एवं 1/2 हिस्सा मनारामजी का दर्ज है, जबकि 30 वर्ष पूर्व उक्त बंटवाड़ा अनुसार उक्त खसरा संख्या 708 की भूमि संपूर्णतः प्रार्थिनी के पति स्वर्गीय विरमारामजी के हक व बंट में आ गई थीं एवं मौके पर स्वर्गीय विरमारामजी ने एकमात्र उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त कायम रखा व विरमारामजी के देहांत के पश्चात अपीलांट का एकमात्र कब्जा है। लेकिन रेस्पोंडेंट्स राजस्व रेकर्ड में शामलाती नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए जबरदस्ती अपीलांट के हक की भूमि में कुंआ खोदने व उपजाउ भूमि को खुर्द–बुर्द कर नष्ट करने जैसा कार्य कर रहे हैं। जिसके संबंध में साक्ष्य के रूप में मौके के फोटोग्राफ्स न्यायालय में प्रस्तुत किये एवं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में मानते हुए अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 18.10.2021 को जारी किया गया था। लेकिन बाद में अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर बिना किसी विवेचन व उचित आधार के प्रार्थिया का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से सिरे से खारिज कर दिया, जोकि किसी भी रूप से न्यायोचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में केवल मात्र जमाबंदी को ही आधार माना है एवं राजस्व रेकर्ड में भूमि शामलाती दर्ज होने के तथ्य को ही तवज्जो दी, जबकि पारिवारिक आपसी बंटवाड़ा जो अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया था, उसके अनुसार रेस्पोंडेंटगण के पिता व रेस्पोंडेंट चेनाराम की उपस्थिति में बंटवाड़ा किया गया था एवं उनकी सहमति के रूप में हस्ताक्षर थें। ऐसी स्थिति में केवल मात्र रेस्पोंडेंटगण द्वारा यह कथन करना कि ऐसा कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है, इन कथनों को साबित करने के संबंध में कोई दस्तावेज रेस्पोंडेंटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही कोई खण्ड़न स्वरूप ऐसी कोई साक्ष्य ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो पूर्णतया साबित थें एवं अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दरकिनार कर एवं विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें एवं मूल वाद के निर्णय तक ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा नंबर 708 की भूमि जो अपीलांट के हक व बंट की भूमि है, जिसमें मौके पर कब्जा अपीलांट का है, जिसमें रेस्पोंडेंटगण जबरदस्ती किसी भी रूप से कुंआ व बेरा नहीं खोदें व खुर्द–बुर्द नहीं करें। रेस्पोंडेंटगण को पाबंद करने हेतु ऐसा आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि, रिकॉर्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की थीं। अप्रार्थीगण प्रार्थिया व उनके पुत्र को परेशान करने की नियत से प्रार्थिया के हक की भूमि में कुंआ खोदने व उपजाउ भूमि को खुर्द–बुर्द करने का काम किया जा रहा है। जिसके फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए गए थें। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदु प्रार्थिया के पक्ष में साबित होते हैं। पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 10.05.1991 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया के पति के हक–हिस्से व बंट में आई थीं। जिसमें अप्रार्थीगण का कोई हक नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल जमाबंदी को आधार मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जो उचित नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर मूलवाद के निर्णय तक रेस्पोंडेंट्स को वादग्रस्त आराजी ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 708 में प्रार्थिया के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप नहीं करने व कुंआ, बेरा आदि नहीं खोदने के लिए पाबंद करावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए अपेक्षित तीनों आधारभूत बिंदुओं यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 708 अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रत्येक की 1/2–1/2 हिस्से की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। प्रार्थिया के अनुसार पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 10.05.1991 द्वारा खसरा संख्या 708 की संपूर्ण भूमि प्रार्थिया के पति के हिस्से में रखी गई हैं। प्रार्थिया द्वारा इसी आधार पर खसरा संख्या 708 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का दावा प्रस्तुत किया है। वादपत्र के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र मत है कि कृषि भूमि के बंटवाड़ें के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में एवं अचल संपत्ति के अंतरण के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में स्पष्ट विधिक प्रावधान है। कथित अपंजीकृत व अन्य स्टांपित लिखत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवाड़ा किए जाने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः प्रार्थिया के पक्ष में प्रथमदृष्टया ही कोई मामला बनना साबित नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि के संबंध में जमाबंदी अधिकार अभिलेख की श्रेणी में आती हैं तथा जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसे नहीं मानने का कोई युक्तियुक्त आधार व प्रमाण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा, हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 113/2021 बअनवान हंजा बनाम चेनाराम वगैरह के आदेश दिनांक 26.11.2021 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **14.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

Scanned with OKEN Scanner